न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. श्रीमति मूली उर्फ मूलकी पुत्री श्री पुखराज उर्फ पकीया पत्नि तेजाराम जी, जाति- कुम्हार, निवासी- बागसीन, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
2. श्रीमति कान्ता पुत्री श्री पुखराज उर्फ पकीया पत्नि शांतिलाल जी, जाति- कुम्हार, निवासी- पालडी जोड, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली

बनाम

प्रत्यर्थी

1. श्री छोगाराम पुत्र श्री पूनाराम, जाति- कुम्हार, निवासी- सलोदरियावास, शिवगंज
2. श्री रामा पुत्र हिराजी, जाति- कुम्हार, निवासी- सलोदरियावास, शिवगंज
3. श्री मंछाराम पुत्र हिराजी, जाति- कुम्हार, निवासी- सलोदरियावास, शिवगंज
4. श्री मांगीलाल पुत्र श्री सोनिया, जाति- कुम्हार, निवासी- सलोदरियावास, शिवगंज
5. श्री माधिया पुत्र श्री सोनिया, जाति- कुम्हार, निवासी- सलोदरियावास, शिवगंज
6. श्री घीसूलाल पुत्र श्री पुखराम उर्फ पकीया, जाति- कुम्हार, निवासी- घांची कॉलोनी, प्लॉट नंबर 99।, भगत की कोठी, जोधपुर
7. श्री रमेशकुमार पुत्र श्री पुखराम उर्फ पकीया, जाति- कुम्हार, निवासी- घांची कॉलोनी, प्लॉट नंबर 99A, भगत की कोठी, जोधपुर
8. श्री हडमान पुत्र श्री पुखराम उर्फ पकीया, जाति- कुम्हार, निवासी- घांची कॉलोनी, प्लॉट नंबर 99A, भगत की कोठी, जोधपुर
9. श्रीमति कस्तु पत्नि श्री पुखराम उर्फ पकीया, जाति- कुम्हार, निवासी- घांची कॉलोनी, प्लॉट नंबर 99A, भगत की कोठी, जोधपुर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 126/2016

''अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956''

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह देवड़ा, अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री पूरणसिंह देवड़ा, प्रत्यर्थी संख्या- 3, 6 ता 9 की ओर से
4. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या- 10 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 26 सितम्बर, 2017

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अखापुरा खुणी, पटवार हल्का केसरपुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 123 दिनांक 06.6.1987 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

.....पेज दो पर

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा एवं प्रत्यर्थी संख्या- 3 व 6 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री पूरणसिंह देवडा तथा प्रत्यर्थी संख्या- 10 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से तथा प्रत्यर्थी संख्या- 3 व 6 से 9 की ओर से अलग अलग संयुक्त जवाब प्रस्तुत हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या- 4 व 5 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहे।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण के पिता स्वर्गीय पुखराज उर्फ पकिया पुत्र हीराजी के नाम की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम अखापुरा खुणी, पटवार हल्का केसरपुरा के खसरा संख्या 39 रकबा 12.09 बीघा, खसरा संख्या 40 रकबा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 41 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 42 रकबा 6 बिस्वा एवं खसरा संख्या 43 रकबा 24.02 बीघा कुल किता 5 रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या- 6 ता 8 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या- 9 के पति पुखराज उर्फ पकीया पुत्र हीराजी कुम्हार के नाम से संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की दर्ज थी। अपीलार्थीगण के पिता पुखराज उर्फ पकीया का स्वर्गवास दिनांक 15.9.1983 को हुआ था उनके स्वर्गवास के समय अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या- 6 ता 9 जीवित होकर वर्तमान में मौजूद है, लेकिन संबंधित हल्का पटवारी ने अपीलार्थी के पिता पुखराज उर्फ पकीया की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण केवल प्रत्यर्थी संख्या- 6 ता 9 के पक्ष में ही दायर किया एवं नाबय तहसीलदार, शिवगंज ने भी प्रत्यर्थी संख्या- 6 ता 9 के पक्ष में दायर नामान्तरकरण को दिनांक 06.6.1987 को स्वीकृत किया है, जबकि उत्तराधिकार का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 6 ता 9 के पक्ष में दायर कर स्वीकृत किया जाना चाहिये था। अपीलार्थीगण अपनी शादी के बाद ससुराल चली गई थी और अपने पिता की मृत्यु के बाद इस विश्वास में रही कि राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थीगण का नाम भी दर्ज हो चुका है तथा प्रत्यर्थी संख्या 6 ता 8 ने भी अपीलार्थीगण को यह विश्वास दिलाया कि अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो चुका है। अपीलार्थीगण जब अपने भाईयों से मिलने शिवगंज में आई तो अपीलार्थीगण को प्रथम बार दिनांक 05.9.2016 को यह जानकारी हुई कि प्रत्यर्थी संख्या 6 ता 9 ने अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का कीमतन बेचान दिनांक 21.7.1994 को पूनाराम, रामाजी पिसरान- हीराजी को कर दिया है। श्री पूनाराम पुत्र हीराजी व पूनाराम की पत्नि जेठी का स्वर्गवास हो चुका है, जिससे इस प्रकरण में पूनाराम के पुत्र छोगाराम को पक्षकार प्रत्यर्थी संख्या-1 बनाया गया है। अपीलार्थीगण ने दिनांक 05.9.2016 को जमाबन्दी की नकल मांगी जो अपीलार्थीगण को दिनांक 07.9. 2016 को प्राप्त हुई। जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर हल्का पटवारी के माध्यम से अपीलार्थीगण को जानकारी हुई कि अपीलार्थीगण के पिता पुखराज उर्फ पकीया जी की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि में पुखराज उर्फ पकीया के दर्ज हक हिस्से की भूमि

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

का उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 123 दिनांक 06.6.1987 को प्रत्यर्थी संख्या- 6 ता 9 के पक्ष में दायर हुआ है तब अपीलार्थीगण ने प्रश्नगत नामान्तरकरण की नकल हेतु दिनांक 19.9.2016 को आवेदन कर नकल प्राप्त की तब अपीलार्थीगण को पता चला कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही हुआ है। अपीलार्थीगण ने जानकारी तिथि से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। यह कि स्वर्गीय पुखराज उर्फ पकीया की अपीलार्थीगण जायन्दा पुत्रियां है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पति में पुत्रियां का भी समान रुप से हक हिस्सा बनता है, लेकिन अधीनस्थ राजस्व कार्मिकों ने जांच किये बिना ही प्रत्यर्थी संख्या 6 ता 8 से मेल मिलाप कर गलत रुप से नामान्तरकण दायर किया जिसे नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 06.6.1987 को स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थीगण के हक मे नामान्तरकरण दर्ज नही होने से अपीलार्थीगण अपने पैतृक सम्पति के हक से वंचित हुई है और जब तक प्रश्नगत नामान्तकरण को निरस्त नही किया जायेगा तब तक अपीलार्थीगण का उनका हक अधिकार नही मिल पायेगा। इसलिये अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 123 दिनांक 06.6.1987 को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जबाव में अंकित तथ्यों की ओर से यह व्यक्त किया कि पकीया उर्फ पुखराज के वारिसान घीसा, रमेश, हडमान पिसरान- पकीया एवं कस्तु पत्नि पकीया, जातियान- कुम्हार, निवासी- शिवगंज द्वारा पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 12.7.1994 के द्वारा ग्राम अखापुरा खुणी, पटवार हल्का केसरपुरा में स्थित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 39 ता 43 कुल रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा में निहित अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या-1 के पिता पूनाराम एवं प्रत्यर्थी संख्या-2 को किमतन राशि रुपये 1,45,000/- में अपीलार्थीगण की सहमति से बेचान कर भूमि का कब्जा सुपर्द किया था जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से है। उक्त बेचान दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय, शिवगंज में दिनांक 12.7.1994 को पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या 133 के पृष्ठ संख्या 69 कम संख्या 569 पर पंजीबद्ध है। वक्त खरीदी से उक्त भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या-1 के पिता का एवं प्रत्यर्थी संख्या-2 का कब्जा काश्त बिना किसी रोकटोक चला आ रहा है। प्रत्यर्थी संख्या-1 के पिता की मृत्यु के बाद राजस्व रेकर्ड में प्रत्यर्थी संख्या-1 का नाम दर्ज हुआ। अपीलार्थीगण एवं प्रतयर्थी संख्या 6 ता 9 ने दुर्भिसंधी कर उक्त भूमि का बाजार मूल्य बढ़ जाने के कारण प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 से रुपये ऐंठने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है। प्रत्यर्थी संख्या 6 ता 9 ने पूर्व में अपीलार्थीगण की जानकारी में रहते अपना पुश्तैनी आवासीय मकान का बेचान वर्ष 1991 में कर पिछले काफी वर्षो से जोधपुर में भगत की कोठी में मकान खरीद कर निवास करते है। अपीलार्थीगण का उक्त खातेदारी कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नही है व न ही कभी रहा है। अपीलार्थीगण का उक्त खातेदारी कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विधिक आदेशानुसार भी वर्ष 2005 के पूर्व पिता की मृत्यु हो जाने पर वर्ष 2005 के बाद पिता की खातेदारी भूमि में पुत्री अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अपीलार्थी को इस तथ्य की भलीभांति जानकारी पूर्व से ही रही है कि अपीलार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद उनकी कृषि भूमि के संबंध में

....पेज चार पर

जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 123 प्रत्यर्थी संख्या 6 ता 9 के पक्ष में दायर होकर स्वीकृत हुआ था। यह कि प्रत्यर्थी संख्या- 6 ता 9 ने उक्त कृषि भूमि का बेचान अपीलार्थीगण की सहमति व जानकारी में रहते हुए प्रत्यर्थी संख्या- 1 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या-2 को दिनांक 12.7.1994 को कीमतन किया था तथा अपीलार्थीगण की सहमति के आधार पर ही उक्त क्रय की गई भूमि का प्रत्यर्थी संख्या-1 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या-2 के पक्ष में नामान्तरकरण दायर होकर राजस्व रेकर्ड में क्रय की गई भूमि प्रत्यर्थी संख्या-1 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या-2 के नाम पर दर्ज हुई तथा प्रत्यर्थी संख्या-1 के पिता की मृत्यु होने पर उक्त खातेदारी कृषि भूमि में प्रत्यर्थी संख्या-1 का नाम दर्ज हुआ। यह कि प्रत्यर्थी संख्या-1 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या-2 ने उक्त कृषि भूमि की सम्पूर्ण राशि अदा कर प्रत्यर्थी संख्या- 3 ता 6 से अपीलार्थीगण की सहमति के आधार पर उक्त कृषि भूमि क्रय की थी। इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या-1 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या-2 सद्भाविक क्रेता है तथा जब तक उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 12.7.1994 को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता है तब तक उक्त क्रय की गई भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण का कोई हक अधिकार नही बनता है। अपीलार्थीगण को अपने हक अधिकार प्राप्त करने हेतु उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोहित करनी चाहिये। नामान्तरकरण एक समरी एवं फिजकल प्रोसेडिंग जिसके जरिये अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है, अधिकारों की प्राप्ति हेतु अपीलार्थीगण को सक्षम न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद दायर करना चाहिये। नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील के जरिये अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है, इसलिये अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे। बहस के दौरान प्रत्यर्थी संख्या- 3, 6, 7, 8 व 9 के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह अंकित किया कि अपीलार्थीगण जो कि स्वर्गीय पुखराज उर्फ पकीया जी की पुत्रियां अवश्य है, परन्तु उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कभी भी कोई कब्जा या हक अधिकार नही रहा है एवं न ही कभी कब्जा-काश्त रहा है। स्वर्गीय पुखराज उर्फ पकीया की मृत्यु दिनांक 15.9.1983 को हुई उस समय पुत्रियों का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने का प्रचलन नही था और वैसे भी अपीलार्थीगण विवाह के बाद से अपने ससुराल में जीवन निर्वाह कर रही थी इस कारण से प्रार्थीगण का नाम हल्का पटवारी केसरपुरा ने दर्ज नही किया। अपीलार्थीगण ने ने अपने पिता पुखराज उर्फ पकीया जी की मृत्यु के बाद अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के लिये कोई ध्यान नही दिया या किसी तरह का कोई प्रयास नही किया। इस कारण से अपीलार्थीगण का नाम नामान्तरकरण में दर्ज होने से रह गया होगा। प्रत्यर्थी संख्या- 6 ता 9 द्वारा अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि का दिनांक 12.7.1994 को बेचान कर दिया था तब से अपील प्रस्तुत करने तक अपीलार्थीगण ने कोई उजर एतराज नही किया एवं न ही कभी अपना हक हिस्सा लेने के लिये कोई कार्यवाही की। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, केसरपुरा द्वारा नियमानुसार नामान्तरकरण दायर किया गया जिसे नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 06.6.1987 को स्वीकृत किया गया है।

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम अखापुरा खुणी, पटवार हल्का केसरपुरा के खसरा संख्या 39 रकबा 12.09 बीघा, खसरा संख्या 40 रकबा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 41 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 42 रकबा 6 बिस्वा एवं खसरा संख्या 43 रकबा 24.02 बीघा कुल किता 5 रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार श्री पकीया पुत्र हिरा जी कुम्हार की मृत्यु के बाद उक्त कृषि में मृतक खातेदार श्री पकीया पुत्र हिरा जी कुम्हार के दर्ज हक हिस्से की भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, केसरपुरा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 6 ता 9 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 123 दायर किया गया जिसे नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 06.6.1987 को स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध भारतीय मियाद अधिनियम की धारा- 5 के तहत एक प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया था, जो इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 48/2016 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा धारा- 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र संख्या 48/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.5.2017 के अनुसार अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अखापुरा, पटवार हल्का केसरपुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 123 दिनांक 06.6.1987 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया गया।

प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार श्री पकीया पुत्र हिरा जी कुम्हार की मृत्यु के बाद उक्त कृषि में मृतक खातेदार श्री पकीया पुत्र हिरा जी कुम्हार के दर्ज हक हिस्से की भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, केसरपुरा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 6 ता 9 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 123 दायर किया गया जिसे नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 06.6.1987 को स्वीकृत किया गया है। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या- 3, 6 ता 9 ने भी जवाब में यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थीगण मृतक खातेदार पकीया पुत्र हीरा जी कुम्हार की पुत्रियां है। अपीलार्थीगण मृतक खातेदार पकीया पुत्र हीरा जी कुम्हार की पुत्रियां नही हो ऐसा कथन प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के जबाव अपील में नही किया है एवं यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण मृतक खातेदार की मृत्योपरान्त प्रत्यर्थी संख्या- 6 ता 9 के पक्ष में अपीलार्थीगण की सहमति से हुआ है एवं अपीलार्थीगण विवाह के बाद ससुराल चली गई थी। अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2069-2072 के अनुसार ग्राम बडगांव, पटवार हल्का बडगांव, तहसील- शिवगंज के खसरा संख्या 512 रकबा 9.07 बीघा व खसरा संख्या 686/23 रकबा 5.13 बीघा कुल किता 2 रकबा 15 बीघा भूमि पकिया पुत्र हीरा जी कुम्हार, निवासी- एरनपुरा के संयुक्त खातेदारी की दर्ज थी एवं पकिया पुत्र हीरा जी कुम्हार की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 3532 दिनांक 26.11.2014 के द्वारा ग्राम बड़गांव की उक्त संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि में

.....पेज छः पर

सिरोही (राज.)

पकिया पुत्र हीरा जी कुम्हार के दर्ज हक हिस्से की भूमि पकिया पुत्र हीरा जी के उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज हुई जिसमें उक्त मृतक खातेदार श्री पकिया पुत्र हीरा जी कुम्हार की पुत्रियों श्रीमति मूलकी व श्रीमति कान्ता का नाम भी दर्ज है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि खातेदार पकीया उर्फ हीरा जी कुम्हार की मृत्योपरान्त उत्तराधिकार का नामान्तरण संख्या 123 मृतक खातेदार पकीया पुत्र हीरा जी कुम्हार के पुत्रों व पत्नि (प्रत्यर्थी संख्या- 6 ता 9) के पक्ष में ही दायर होकर स्वीकृत हुआ। जबकि अपीलार्थीगण भी मृतक खातेदार पकीया उर्फ हीरा जी कुम्हार की पुत्रियां है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा- 8 के अुनसार अनुसूची के वर्ग 1 में विर्निदिष्ट प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के अनुसार हिन्दू खातेदार के निर्वसीयत मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकार के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते है। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी संख्या 6 ता 9 अपने हिस्से की ही भूमि का बेचान कर सकते थे। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को मृतक खातेदार पकीया पुत्र हीरा जी कुम्हार के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर कर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अखापुरा खुणी, पटवार हल्का केसरपुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 123 दिनांक 06.6.1987 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार श्री पकीया पुत्र हीरा जी कुम्हार, निवासी- एरनपुरा, शिवगंज के विधिक उत्तराधिरियों के संबंध में जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही